"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2008—आश्विन 4, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, ग्रामोद्योग विभाग पदस्थ किया जाता है. इसके साथ ही इन्हें आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले द्वारा सचिव, ग्रामोद्योग, संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987) सचिव, ग्रामोद्योग, संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2008

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

क्रमांक 4035/1554/2008/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 25-07-2008 से 02-08-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-08-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 19-08-2008 से 21-08-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-08-2008 द्वारा श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 18-08-2008 से 23-08-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम श्री पैकरा को दिनांक 24-08-2008 से 26-08-2008 तक (03 दिवस) और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 01-09-2008 से 09-09-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें उनके स्वयं के व्यय पर विदेश (दुबई) भ्रमण की अनुमति दी जाती है. साथ ही दिनांक 30 एवं 31 अगस्त, 2008 के स्थानीय/शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक/7118/25-2/आजावि/2008.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के संविधान की धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 के अंतर्गत श्री मिर्जा एजाज बेग को आगामी 3 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक/4829/एफ-14/49/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/डी-15/44/14-3 भोपाल, दिनांक 25-01-1991 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण कुनकुरी, जिला जशपुर के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर बने किसी संरचना अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम महुआटोली (प. ह. नं. 14) तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर में स्थित खसरा नं. 5/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर भूमि—

सीमायें—

1.	**उत्तर में**	-	खसरा नं. 5/4 गृह निर्माण मंडल की "अटल आवास" हेतु प्रस्तावित भूमि.
2.	**दक्षिण में**	-	खसरा नं. 4/1 शंभू वल्द बुधू वगैरह की निजी भूमि.
3.	**पूर्व में**	-	महुआटोली लोधमा पहुंच मार्ग.
4.	**पश्चिम में**	-	खसरा नं. 2 अमीन वल्द जटा की निजी भूमि.

No./4829/F-14/49/2007/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby declares that with effect from the date of its publication in the official Gazette, the following place including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard Kunkuri, District Jashpur declared vide department notification Number D-15/44/14-3 Bhopal dated 25-1-1991, namely :—

PLACE

Land Bearing Khasara Number 5/2 area 2.023 Hactare situated at village Mahuatoly (Patwari Halka Number 14) in Tahsil Kunkuri District Jashpur, surrounded by.—

1.	**North side**	-	Proposed land of Housing Board's "Atal Awas" Khasara Number 5/4.
2.	**South side**	-	Personal land of Shambhu S/o Budhu & other in Khasara Number 4/1.
3.	**East side**	-	Mahuatoly-Lodhama Approach Road.
4.	**West side**	-	Personal land of Amin S/o Jata in Khasara Number 2.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 1-41/2005/नौ/17.—संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छ. ग. रायपुर के अंतर्गत एवं समस्त अधीनस्थ संस्थाओं की बंद पड़ी अनुपयोगी वाहनों की कंडमनेशन/नीलामी प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमिततायें बरते जाने के कारण श्री अशोक पंचभाई वेतनमान रु. 8000-275-13500 तत्कालीन उप प्रभारी संचालक (परिवहन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छ. ग. रायपुर को विभागीय आदेश क्र. एफ 1-41/2005/सत्रह/एक, दि. 30-07-2005 के द्वारा निलंबित किया जाकर विभागीय प्रपत्र क्र. एफ 1-41/2005/सत्रह/एक. दि. 12-09-2005 से आरोप पत्रादि जारी किये जाकर विभागीय जांच संस्थित करते हुए विभागीय आदेश क्र. एफ 1-41/2005/नौ/17, दि. 16-11 2005 से श्री अजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया तथा आदेश क्र. एफ 1-41/2005/सत्रह/एक, दि. 31-01-2006 के द्वारा डॉ. व्ही. जयप्रकाश उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छ. ग. रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया. श्री पंचभाई के विरुद्ध निम्न आरोपों पर विभागीय जांच करायी गई है :—

श्री अशोक पंचभाई, तत्कालीन प्रभारी उप संचालक (परिवहन) के विरुद्ध आरोप थे.

आरोप क्र. - 1

यह कि आपके द्वारा उक्त पद पर रहते हुए विभागीय वाहनों के अपलेखन से संबंधित जैसे-निरीक्षण प्रतिवेदन, वाहन के अनुक्रम 1 और 2. अपलेखन हेतु प्रस्तावित सूची निष्क्रिय घोषित करने संबंधी आदेश, नीलामी हेतु प्राप्त निविदाओं एवं तुलनात्मक पंजी में सफेदा लगाकर, खुरचकर तथा अन्य साधनों का उपयोग कर पूर्व से लिखी गई राशियों में संशोधन एवं परिवर्तन किया गया.

आरोप क्र. - 2

यह कि आपके द्वारा उक्त कार्य एवं प्रक्रिया के दौरान अपलेखन समिति के पश्चात् अपने स्तर पर अभिलेखों को बदला गया तथा अपने अधिकारों से बाहर जाकर बिना ध्यान में लाये, उच्चाधिकारियों के अधिकारों का उपयोग किया गया एवं निर्णय लिया गया.

आरोप क्र. - 3

यह कि आपके द्वारा वाहनों के अपलेखन एवं समिति के निर्णय के पश्चात् विक्रय की पूरी प्रक्रिया को अपने हित में तथा शासन को जानबूझकर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से दूषित किया गया जिससे शासन को धनहानि के साथ शासन की गरिमा पर आघात किया गया है.

2. जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 05-04-2007 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री पंचभाई एवं समस्त अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं.

3. जांच प्रतिवेदन की परीक्षणोपरांत जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पंचभाई के विरुद्ध छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (8) के अंतर्गत "सेवा से पृथक किये जाने जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी" एवं अनंतिम निर्णय लेकर विभागीय पत्र क्र. एफ 1-41-2005 नौ [illegible], दि. 24-04-2005 के द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न कर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.

4. सूचना पत्र के संदर्भ में श्री पंचभाई ने पत्र दि. 25-05-2007 से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यावेदन में उल्लेखित कथन [illegible] समाधानकारक नहीं पाया गया. अत: लिये गये प्रावधिक निर्णय को यथावत् रखा गया है.

5. चूंकि श्री पंचभाई राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी होने के कारण अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व लिये गये अनंतिम निर्णय पर छ. ग. लोक सेवा आयोग से अभिमत प्राप्त की गई. छ. ग. लोक सेवा आयोग ने पत्र क्रमांक 667/60/08/ जी. एस. दिनांक 02-08-2008 से शासन द्वारा लिये गये अनंतिम निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की है.

6. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक पंचभाई तत्कालीन उप संचालक (परिवहन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छ. ग. रायपुर के विरुद्ध कंडम वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरते जाने के कारण छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (८) के अंतर्गत "सेवा से पृथक किये जाने जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी" शास्ति अधिरोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-1/2008/16.—प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता है.

अनुसूची

क्या आरसमेटा सीमेन्ट प्लांट के कर्मचारियों को अधिकारियों के समान रिमोट अलाउन्स अथवा सेटेलमेंट अलाएन्स दिया जाना उचित एवं वैध है यदि हां तो तत्संबंध में नियोजक को क्या निर्देश है तथा कर्मचारी किस सहायता के पात्र हैं ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-1/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन 1960) की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जांजगीर-चांपा के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) एवं प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 04/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-2/2008/16.—नियोजक/प्रबंधक केडिया केशल डेलान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड केडिया नगर कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ. ग.) सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीयल मजदूर यूनियन कार्यालय 3/1, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई जिला-दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं नियोजक/प्रबंधक केडिया केशल डेलान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड केडिया नगर कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ. ग.) के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये, राज्य शासन एतदद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या नियोजक/प्रबंधक को यूनियन द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगे युक्ति युक्त है ? यदि हां तो इन मांगों को श्रमिक हित व संस्थान हित में क्या स्वरूप होगा तथा इस संबंध में नियोजक/प्रबंधक को क्या निर्देश दिया जाना उचित होगा ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-2/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि दुर्ग के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीयल मजदूर यूनियन कार्यालय 3/1, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) एवं नियोजक/प्रबंधक केडिया केशल डेलान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड केडिया नगर कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ. ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 03/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-3/2008/16.—प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्देष्ट विवरण में निर्मित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या आरसमेटा संयंत्र के स्पलेष मजदूरों को यूनीफार्म, हीट एलाउन्स, डास्ट एलाउन्स, मेडिकल लीव, मेडिकल पालिसी एवं अटेन्डेंन्स एवं सेफटी अवार्ड के रूप में 477/- प्रतिमाह दिया जाना उचित एवं वैध है ? यदि नहीं तो तत्संबंध में नियोजक को क्या निर्देश है तथा आवेदक किस सहायता का पात्र है ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-3/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (...) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जांजगीर-चांपा के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) एवं प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 03/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-4/2008/16.—प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. एवं श्री जोगेन्दर सिंग ठेकेदार लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेन्ट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नांदिनी रोड़, भिलाई, छ. ग. द्वारा किया जा रहा है एवं नियोजक प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा एवं श्री जोगेन्दर सिंग ठेकेदार लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्देष्ट विवरण में निर्मित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल में परमानेंट मजदूरों के समान लोडरों को भी 2700/- एक्सग्रेसिया दिया जाना उचित है ?

2. क्या परमानेंट मजदूरों के समान लोडरों को भी मेडिकल की सुविधाएं दिया जाना उचित है ?

3. क्या ई. ग्रेड के हिसाब से लोडरों को छुट्टी की राशि दिया जाना उचित है ?

4. क्या आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की अन्य मांगे उचित एवं वैध है ? यदि हां तो तत्संबंध में आवेदक पक्ष किस सहायता का पात्र है ? तत्संबंध में अनावेदक पक्ष को क्या निर्देश है ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-4/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जांजगीर-चांपा के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव सीमेन्ट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नांदिनी रोड, भिलाई, छ. ग. एवं प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) तथा श्री जोगेन्दर सिंग ठेकेदार लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग. के मध्य निम्न औद्योगिक समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 07/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-5/2008/16.—चूंकि प्रबंधन, यूनिवर्थ लिमिटेड, 923-945, उरला ग्रोथ सेटर, सेक्टर डी, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो.-उरला, सरोरा, रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी यूनिवर्थ आपरेटर कर्मचारी संघ हांडीपारा, रायपुर, छ. ग. द्वारा किया जा रहा है. एवं प्रबंधन, यूनिवर्थ लिमिटेड, 923-945, उरला ग्रोथ सेटर, सेक्टर डी, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो.-उरला, सरोरा, रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय का पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या औद्योगिक नियम के अनुसार हजारों कार्यरत आपरेटर कर्मचारी मजदूरों वाले कंपनी में अस्पताल एवं मेडिकल सुविधा नहीं है. वहां 02 डाक्टर, 04 कम्पाउण्डर, मेडिकल भवन का निर्माण 60 दिनों के अन्दर प्रारंभ कराये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये ?

2. क्या कार्यरत कर्मचारियों के लिये बस वाहन की व्यवस्था किया जाना चाहिये ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए ?

3. क्या कंपनी परिसर में छत्तीसगढ़ी यूनिवर्थ आपरेटर कर्मचारी संघ के लिये मुख्य गेट पर कार्यालय हेतु स्थान दिया जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-5/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी यूनिवर्थ आपरेटर कर्मचारी संघ हांडीपारा, रायपुर, छ. ग. एवं प्रबंधन, यूनिपर्थ लिमिटेड, 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, सेक्टर डी, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो. उरला, सरोरा, रायपुर, छ. ग. के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/सी. जी. आई. आर./2008

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-6/2008/16.—चूंकि कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट प्लांट, पोस्ट-रसेडा, जिला-रायपुर, के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेंट एम्पलाईज यूनियन (सीटू) 25/45 ब्राम्हणपारा जिला-रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेट सोनाडीह सीमेंट प्लांट, पोस्ट-रसेडा, जिला-रायपुर, के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन का यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सोनाडीह सीमेंट प्लांट में तथा कथित ठेकेदारों के मातहत कार्यरत समस्त श्रमिकों को भी वर्ष 2006-07 के लिये वार्षिक बोनस विभागीय श्रमिकों के समान दर पर प्राप्त करने का पात्रता रखते हैं ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजनक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-6/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, सीमेन्ट एम्पलाईज यूनियन (सीटू), 25/45, ब्राम्हणपारा, जिला-रायपुर एवं प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट प्लांट, पोस्ट-रसेडा, जिला-रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/सी. जी. आई. आर./2007

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-8/2008/16.—चूंकि जनरल मैनेजर, यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमिटेड, (फारमरर्ली वुलवर्थ इंडिया लिमिटेड) 923-924 उरला ग्रोथ सेंटर, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो. आ. सरोरा, सेक्टर डी, उरला, रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड, भिलाई, छ. ग. द्वारा किया जा रहा है एवं जनरल मैनेजर, यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमिटेड, (फारमरर्ली वुलवर्थ इंडिया लिमिटेड) 923-924 उरला ग्रोथ सेंटर, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो. आ. सरोरा, सेक्टर डी, उरला, रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड, भिलाई द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन सूचना फार्म "जे" एवं औद्योगिक विवाद का प्रतिवेदन फार्म "एल" प्रबंधन द्वारा यूनियन के विधान संशोधन के परिपेक्ष्य में उठाई गई आपत्ति के प्रकाश में विधि सम्मत है ?

क्या मूल वेतन, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, फिटमेंट बेनीफिट, वार्षिक वेतनवृद्धि, अंतरिम राहत, मकान किराया, वाहन भत्ता, धुलाई भत्ता, रात्रि टिफिन एलाउंस, चाय भत्ता, शिक्षा भत्ता, गैस एलाउंस, उपस्थिति प्रोत्साहन, उत्पादन प्रोत्साहन, अवकाश भत्ता, भवन निर्माण अग्रिम रुपये, वाहन अग्रिम व विवाह अग्रिम रुपये दिये जाने का औचित्य है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-8/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड, भिलाई, छ. ग. एवं जनरल मैनेजर, यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमिटेड, (फारमरर्ली वुलवर्थ इंडिया लिमिटेड) 923-924 उरला ग्रोथ सेंटर, उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पो. आ. सरोरा, सेक्टर डी, उरला, रायपुर छ. ग. के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 03/सी. जी. आई. आर./2008

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-7/2008/16.—चूंकि प्रबंधक, कांलिदा इस्पात प्रा. लि., ग्राम बेलपाल खपरी, पोस्ट-मानिकचौरी, तह. मस्तूरी, जिला-बिलासपुर, छ. ग. के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व श्री ओम प्रकाश गंगोत्री, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी मजदूर एकता संघ द्वारा किया जा रहा है एवं प्रबंधक, कांलिदा इस्पात प्रा. लि., ग्राम बेलपाल, खंपरी, पोस्ट-मानिकचौरी, तह. मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं हैं.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या उक्त मांग के आधार पर श्रमिकों के वेतनवृद्धि 2000/- रु. तथा मकान किराया 10 प्रतिशत एवं 300/- माहवार मेडिकल एलाउन्स और किलन में छ: श्रमिक रखे जाने के मांग का कोई औचित्य है यदि है तो अनावेदक को क्या निर्देश दिया जाए ?

2. श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन शपथ-पत्र के साथ उनका छत्तीसगढ़ कर्मचारी एकता यूनियन एवं अध्यक्ष ओम प्रकाश गंगोत्री से कोई संबंध नहीं है तथा मांग पत्र निरस्त किया जाए का क्या औचित्य है यदि है तो क्या निर्देश दिया जाए प्रथम पक्ष को ?

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-7/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि बिलासपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट श्री ओम प्रकाश गंगोत्री, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी मजदूर एकता संघ, दयालबंद, जिला-बिलासपुर एवं प्रबंधक, कांलिदा इस्पात प्रा. लिमि., ग्राम बेलपाल खपरी, पोस्ट मानिकचौरी, तह. मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 01/सी. जी. आई. आर./2007

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008.

क्रमांक 11/अ-82/07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	तखतपुर	0.716	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर कुरानकापा मार्ग पर मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हर्राडांड़ प. ह. नं. 04	5.740	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 40 से 174 एवं हर्राडांड़ माइनर चैन क्र. 0 से 44 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हर्राडांड प. ह. नं. 04	1.675	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के नांवाटोली माइनर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	छुरीटोली प. ह. नं. 04	1.860	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र. 9/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	भैयाथान	सिरसी	73.46	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. मं. अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ. ग.	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना के आवासीय परिसर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय-अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/136/क/अविअ/भू. अ./03 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	साजापाली प. ह. नं. 01	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	छिर्रापाली जलाशय योजना डुबान भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/137/क/अविअ/भू. अ./05 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	मोखापुटका प. ह. नं. 08	3.298	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	मोखापुटका जलाशय योजना डूबान एवं नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/138/क/अविअ/भू. अ./07 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गम्हारडीह प. ह. नं. 26	0.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बंदलीमाल जलाशय योजना के उलट निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/139/क/अविअ/भू. अ./08 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कस्तूराबहाल प. ह. नं. 28	1.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/140/क/अविअ/भू. अ./09 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बांदपाली प. ह. नं. 26	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बंदलीमाल जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक/141/क/अविअ/भू. अ./11 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	आंवलाचक्का प. ह. नं. 01	5.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	छिर्रापाली जलाशय योजना डुबान भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक/142/क/अविअ/भू. अ./04 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	छिर्रापाली प. ह. नं. 01	3.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	छिर्रापाली जलाशय योजना डुबान भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक/143/क/अविअ/भू. अ./06 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कालीदरहा प. ह. नं. 17	0.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	कालीदरहा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक/144/क/अविअ/भू. अ./10 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	राफेल प. ह. नं. 22	0.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 11/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	1272	0.490	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु.
			1260/3	0.113		
			824/3	0.138		
			1260/5	0.035		
			1262/2	0.150		
			1276/1	0.230		
			1283/2	0.081		
			1240/1	0.072		
			812/4	0.012		
			815/2	0.061		
			807/6	0.030		
			1263/2	0.040		
			807/4	0.220		
			1263/1	0.081		
			1263/3	0.060		
			1238/2	0.085		
			1267/1	0.010		
			1266/2	0.220		
			1271/1	0.090		
			1240/2	0.072		
			1239/1	0.030		
			1239/9	0.030		
			1239/10	0.084		
			1239/11	0.077		
			1339/12	0.089		
			1239/13	0.085		
			1239/14	0.089		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1239/15	0.121		
			1239/16	0.081		
			1239/17	0.006		
			1239/23	0.061		
			1239/26	0.187		
			1240/3	0.053		
			1240/4	0.308		
			1240/5	0.080		
			1241/7	0.060		
			1243/1	0.080		
			1264/2	0.348		
			1264/4	0.405		
			807/13	0.050		
			1263/4	0.089		
			1273/02	0.247		
			1277/2	0.070		
			1280/2	0.020		
			1279/1	0.030		
			817/2	0.081		
			822	0.412		
			1241/9	0.060		
			1262/11	0.221		
			1264/3	0.081		
			1273/1	0.025		
			1277/1	0.052		
			1280/4	0.130		
			1280/1	0.170		
			1280/3	0.032		
			1280/5	0.097		
			1281/12	0.091		
			1281/14	0.243		
			1281/16	0.061		
			1281/26	0.099		
			814	0.557		
			815/3	0.095		
			815/5	0.151		
			805/1, 805/2	0.578		
			806	0.376		
			1261/1	0.070		
			1238/1	0.170		
			1238/3	0.326		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1281/2	0.151		
			1281/19	0.010		
			1281/20	0.051		
			1281/27	0.010		
			1260/4	0.051		
			1281/11	0.011		
			1281/13	0.166		
			1281/17	0.113		
			762	0.374		
			825	0.432		
			1260/2	0.303		
			1236/1	0.337		
			1262/1	0.391		
			1236/2	0.267		
			1283/3	0.304		
			1274/1	0.090		
			1241/1-2-3	0.550		
			813	0.220		
			823	0.379		
			824/1, 824/2	0.238		
			817/1	0.090		
			816	0.848		
			820	0.080		
			821	0.589		
			1264/5	0.101		
			1264/6	0.109		
			1281/1	0.113		
			1281/15	0.081		
			1281/18	0.134		
			1281/25	0.035		
		योग	**103**	**17.271**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुल्हाड़गांव, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/81	0.020
7/9, 19/123, 21/3, 23, 24	0.121
योग	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भण्डारसिवनी उद्वहन योजना की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव के कार्यालय अथवा कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पूंजीपथरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150	2.960
149/1	0.421
149/5	0.793
149/3	3.785
149/4	0.202
योग 5	8.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजनार्थ (मेसर्स रायगढ़ आयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड औद्योगिक प्रयोजन) भू-अर्जन.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 8 सितम्बर 2008

क्रमांक/110/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कोंदागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1068	1.00
1072	0.25
1070	1.95
1071	0.11
1029	0.15
1069	0.61
1119	0.40
1117	0.02
1118	0.60
1120	1.62
1121	0.10
1061/3	0.18
1061/1	0.18
1061/5	0.18
1061/4	0.18
1061/2	0.18
(1)	(2)
1028	1.24
योग	8.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- कोंदागांव तालाब योजना के डूब क्षेत्र, वेस्टवीयर एवं बण्ड में आने वाली निजी भूमि अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 सितम्बर 2008

क्रमांक 14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम उमरेली, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
547/1, 562, 587/1	0.077
योग 1	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-उमरेली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 सितम्बर 2008

क्रमांक 15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.028
2/4	0.069
2/6	0.024
2/7	0.008
9/1	0.036
8/1 ग	0.008
11/2	0.012
13/1 क	0.008
71/1	0.073
योग 9	0.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- नवापारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1	0.069
114/1	0.113
115/1	0.275
115/2	0.385
115/3	0.024
115/4	0.061
115/5	0.024
115/6	0.065
116	0.032
117/1	0.081

(1)	(2)
117/2	0.121
117/3	0.089
117/4	0.113
118/1	0.018
118/2	0.005
367	0.109
368	0.065
369	0.081
370	0.012
372/1	0.340
372/2	0.405
372/3	0.682
374	0.073
375	0.020
378/1	0.930
378/2	0.890
378/3	0.186
378/4	0.069
378/5	0.182
379	0.417
381	0.020
382	0.129
383	1.202
385	0.227
योग 34	7.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-540 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
813/2	0.013
813/3	0.021
820/1	0.057
820/2	0.283
820/3	0.053
820/4	0.053
821/1	0.065
821/2	0.065
821/3	0.065
821/4	0.336
822	0.093
823	0.114
824/2, 825/3	0.607
824/3, 825/4	0.607
824/5, 856/2	0.680
824/4, 825/5	0.567
825/1	0.405
825/2	0.162
825/6	1.659
838/1	0.405
838/2	0.386
839	0.466
845/1, 845/4	1.364
845/2	0.405
846	0.234
847	0.514
848	0.024
849/1	0.522
849/2	0.405
849/5	0.943
849/6	1.359
849/7	0.243
880	0.170
849/8	0.158
850	0.150

(1)	(2)
851	0.012
852	0.008
853	0.105
854	0.291
855	0.186
856/1	0.162
856/3	0.506
857/1	0.162
858/1	0.016
857/4	0.089
857/2	0.162
858/2	0.012
857/3	0.077
858/3	0.012
859/1	0.094
859/2	0.243
865	0.445
859/3	0.162
860	0.117
863	0.121
866	0.008
869	0.069
870	0.053
872/1	0.271
872/2	0.113
872/3	0.466
874	0.105
875	0.364
876/1	0.206
876/2	0.210
877	0.603
878/1	1.364
878/2	0.040
878/5	0.729
879/2	0.105
878/7	0.279
879/3	0.016
881	0.344
882	0.700
884	0.397
885/1	0.688
885/2	0.008
885/3	0.008
885/4	0.210
885/5	0.688
885/6	0.405
885/7	0.057
885/8	0.255
885/9	0.261
885/10	0.129
885/11	0.275
885/12	0.174
885/13	0.809
885/14	0.405
885/15	0.688
886/1	0.587
886/2	0.243
887	0.020
888	0.462
889/1	0.308
889/2	0.019
889/3	1.476
890/4	0.040
890/5	0.040
948	0.008
949/2	0.070
949/1	0.153
949/3	0.028
949/4	0.061
952/1	0.014
योग 105	31.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-540 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

भू-अर्जन **प्रकरण क्रमांक** 13/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-सलोरा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.878 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
818/1 kh	0.113
818/1 anga	0.202
818/1 ch	0.162
818/1 j	0.202
818/1 jh	0.061
818/1 gh	0.202
819	0.575
821/1	0.559
821/2	0.324
821/3, 821/4	0.364
821/5	0.291
821/6	0.162
821/7	0.081
821/8	0.283
821/9	0.057
821/10	0.057
822/1, 868	2.338
822/2	0.105
822/3	0.283
823	0.316
824/2	0.506
824/3	0.530
824/4	0.304
825/1	0.016
825/2	0.016
826	0.057
827	0.117
828	0.109
829/1	0.210
829/2	0.085
830/2	0.089
830/3	0.057
831	0.036
832/1	0.032
832/2	0.036
833/1	0.045
833/2	0.073
834/1	0.401
834/2	0.073
835	0.073
836/1	0.141
836/2	0.073
837	0.028
838	0.061
839	0.409
840/1	1.026
840/2	0.097
842/2	0.405
842/5	0.202
843/1, 844/1	0.417
843/2, 844/2	0.061
843/3 k, 844/3 k	0.105
843/3 kh, 844/3 kh	0.105
847/1 k	0.081
847/kh	0.526
847/g	0.202
847/2	0.450
848	0.008
849	0.016
850	0.036
852/1	0.243
852/2	0.142
852/3	0.142
852/4	0.081
853	0.332
854/1 k	0.421
854/1 kh	0.162
854/2	0.202
856	0.134
857	0.186
858	0.065
859/1	0.571
859/2	0.040
859/3	0.206
859/4	0.170
861/1	0.121
861/2	0.061
861/3	0.061
862/1	0.129
862/2	0.202
863/1, 866	1.590
863/2	0.142

	(1)	(2)
	864	0.380
	865/1	0.040
	865/2	0.296
	865/3	0.040
	867	0.162
	870/1	0.174
	870/2	0.174
	871, 872	0.158
योग	90	20.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-540 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविंभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-झोरा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.925 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.182
1/3	0.012
1/4	0.142
2	0.077
3	0.028
4/2	0.356
4/1, 5	0.384
7/1, 8/1	0.146
7/2, 8/3	0.125
7/3, 8/4	0.089
7/4, 8/5	0.190
8/2	0.121
10, 11	0.315
12	0.146
13	0.069
14	0.571
15	0.364
16	0.074
17	0.283
18/1	0.170
18/2	0.223
20	0.142
21	0.227
22/1, 23/1	0.065
22/2, 23/2	0.085
22/3, 23/3	0.162
22/4, 23/4	0.113
24	0.419
25	0.312
26	0.040
27	0.142
28	0.251
30, 31	0.154
32	0.089
33	0.174
34	0.024
35	0.024
36	0.696
37	0.275
38/2	0.049
53/1	0.146
38/3	0.008
38/4	0.049
38/5	0.081
38/6	0.146
38/7	0.113
38/8	0.032
38/9	0.028
38/10	0.093

(1)	(2)
39	0.202
40	0.121
41, 46, 42, 47/3, 51	0.230
43	0.182
44	0.040
45	0.202
48	0.494
49	0.028
47/1	0.008
47/2	0.040
50	0.045
52	0.227
53/2	0.073
54/1	0.077
54/2	0.073
55	0.061
56	0.032
57	0.138
58	0.061
59	0.040
60	0.089
61	0.279
62	0.154
63	0.097
64	0.251
65	0.073
66	0.085
67	0.008
68	0.028
69	0.016
70/1	0.121
70/2	0.097
71	0.040
72	0.045
73	0.182
74	0.227
75	0.089
76	0.020
77	0.024
78/2	0.243
78/1	0.243
79	0.040
80	0.089
81	0.113
83	0.040
82	0.020
84	0.040
85/1	0.413
85/2	0.105
85/3	0.243
85/4	0.660
85/5	0.105
85/6	0.105
85/7	0.105
85/8	0.308
88/1	0.085
88/2	0.040
89/2	0.182
90/1	0.061
90/2	0.308
92	0.158
93	0.202
95	0.512
योग 112	16.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-540 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुरीकला, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.225 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515/1 k	0.065
515/2	0.012
515/3 k	0.061
515/3 kh	0.040
515/4	0.073
516	0.040
517/1 k	0.053
517/1 kh	0.093
517/2	0.405
517/3	0.283
517/4	0.243
517/5	0.319
518/1	0.057
518/2	0.081
518/3	0.138
518/4	0.101
518/5 k	0.102
518/6	0.150
518/7	0.040
518/8	0.053
518/9	0.101
519	0.170
520	0.146
521/2	0.243
521/3	0.162
521/4	0.202
521/5	0.101
521/6	0.202
521/7	0.101
521/8	0.202
521/9	0.101
522/1	0.069
522/2	0.085
522/3	0.121
523	1.319
524/1	0.432
524/2	0.192
525	0.219
527/1	0.837
527/2	0.890
528	0.227
529	0.567
530	0.425
532/1	0.198
532/2	0.555
533/1	0.101

(1)	(2)
533/2	0.255
534/1	0.097
534/2	0.097
534/3	0.097
534/4	0.097
535	0.206
536/2	0.243
536/3	0.020
536/4	0.457
536/5	0.020
536/6	0.020
536/7	0.020
537	0.134
538/1	2.072
538/2	0.700
538/3	0.113
538/4	0.089
538/5	0.089
539/2	0.809
539/3	0.202
540	0.242
541	0.753
542	0.129
543	0.202
544	0.243
545	0.154
546/1	0.202
546/2	0.304
546/3	0.057
547/1	0.809
547/2	0.628
548	0.283
549/2	0.809
549/3	0.020
549/4	0.518
549/5	0.020
549/6	0.020
549/7	0.020
550	1.295
551	2.821
552	0.121
553/1	0.081
553/2	0.040
554/1	0.162
554/2	0.049
555/1 k	0.121
555/1 kh	0.020
555/2 k	0.081
555/2 kh	0.101

(1)	(2)
555/3	0.081
555/4	0.061
555/5	0.024
556	0.223
557	0.397
558/2	0.162
559/3	0.630
560	0.101
580/1	0.174
580/2 k, 585/3 k	0.125
580/2 kh, 580/3 kh	0.138
580/2 g, 580/3 g	0.170
580/2 gh, 580/3 gh	0.243
580/4	0.081
580/5	0.142
580/6	0.049
580/7	0.061
580/8	0.081
580/9	0.061
582	0.490
584	0.073
587	0.942
588/1	0.166
588/2	0.202
588/3	0.202
589/2	0.405
609/1	0.028
609/2	0.028
609/3	0.032
609/4	0.028
610	0.194
611	0.267
612	0.324
614/1	0.142
614/2	0.223
615/1	0.518
615/2	0.101
622/1	0.202
727/2	0.162
731/1	0.146
731/2	0.146
732	0.089
733	0.287
734	0.101
743	0.089
744	0.061
746	0.093
747	0.521
748	0.356
749/1	0.032
749/2	0.405
755	0.647
योग 147	37.225

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-540 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक 1428/प्र. 1/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-चेचानमेटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1398	0.40
1400	0.03
1436	0.01
1439	0.02
1345	0.02
1440	0.19

(1)	(2)
1634	0.56
1441	0.12
1640	0.12
1442	0.07
1639	0.50
1443	0.05
1449	0.12
1599/1	0.05
1599/2	0.10
1599/3	0.07
1614	1.32
1615	0.30
1630	0.25
1616	0.25
1633	0.14
1623	0.13
1373	0.03
1617	0.06
1618	0.06
1619	0.06
1620	0.06
1621	0.06
1622	0.07
1631	0.10
1632	0.08
1624	0.34
1372	0.02
1625	0.15
1626	0.15
1628/4	0.07
1627	0.15
1628/2	0.09
1629	0.18
1635	0.40
1628/1	0.21
1628/3	0.11
1636	0.25
1637	0.30
1399	0.05
1346	0.03
1365	0.05
1609/2	0.80
1609/6	0.20
1609/3	0.50
1609/4	0.02
1609/5	0.25
1609/9	0.74
1609/8	0.74
1609/10	0.38
योग 55	11.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निराकरण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक 1158/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-आलबरस, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369	0.22
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक/9007/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोपेडीह, प. ह. नं. 07.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.393 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	304/2	0.028
	304/1	0.378
	301/2	0.032
	301/4	0.137
	301/1	0.145
	301/3	0.153
	300	0.526
	313/2	0.362
	313/1	0.064
	288	0.278
	287/1	0.534
	5/7	0.020
	5/12	0.077
	5/8	0.166
	5/9	0.016
	8/3	0.153
	9	0.129
	11/2	0.041
	12/1	0.041
	12/2	0.032
	10/4	0.081
योग	21	3.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुखानाला बैरॉज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक/9008/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
618	0.190
616+617	0.607
615	0.310
614/1	0.477
21/2	0.012
614/2	0.020
22/3	0.012
604/1	0.258
607/1	0.178
613/1	0.332
30/2+31/4	0.486

(1)	(2)
31/3	0.202
613/2	0.322
604/3	0.121
495/11-15	0.364
613/3	0.012
593/1+596/786	0.182
605	0.340
607/4	0.486
606	0.113
607/7	0.073
607/8	0.146
598	0.202
495/8	0.474
495/4	0.097
495/1	0.121
495/9	0.129
37/3	0.036
495/17	0.032
495/12	0.032
492/1	0.121
492/3	0.004
492/4	0.121
491/1	0.971
382/3	0.364
30/1+31/1+32/2, 3	0.182
31/5	0.081
31/6	0.052
6/1	0.024
29/1	0.081
597/1	0.284
495/13	0.041
495/16	0.081
612/1	0.008
46+47	0.154
48/6	0.105
48/5	0.012
64	0.101
69/2	0.012
81/1	0.069
84/6	0.081
84/1	0.081
84/4	0.004
84/3	0.028
85/2	0.152
38	0.304
39	0.242
योग 57	10.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैरॉज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक/9009/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रम क एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आलीखूंटा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.546 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
173/12	0.182
175/3+175/3 का टू.	0.069
175/5	0.173
173/3	0.121
173/4	0.077
175/2	0.109
175/4	0.020
175/1	0.079
176	0.113
107/3	0.061
174/1	0.153

	(1)	(2)
	174/5	0.138
	174/2	0.057
	174/3	0.089
	174/6	0.024
	107/2	0.004
	174/4	0.008
	106/4	0.330
	106/2	0.016
	78	0.032
	79	0.065
	80/1	0.474
	80/2	0.012
	84	0.024
	87	0.045
	98/1	0.028
	173/1+173/7	0.311
	109/1	0.121
	110	0.121
	111/1	0.020
	106/3	0.150
	111/2	0.117
	109/2	0.162
	165/4	0.041
योग	34	3.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैरॉज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

प्रकरण क्र. 5/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
8/1	0.15
8/2	0.10
11	1.72
13/8	0.15
13/9	0.15
13/10	0.20
108	0.35
110/1	0.15
110/2	0.44
114	2.93
117/1	0.48
117/3	0.33
117/2	1.05
118/2	1.00
118/3	1.00
118/4	1.00
124	2.10
125/2	2.23
126/1	0.86
126/2	0.86

(1)	(2)
127/1	1.58
127/2	1.58
127/3	1.57
131/1	1.02
150/1	0.72
150/2	0.40
150/3	0.80
150/4	0.48
153/2	0.50
157	2.40
158/1	0.40
158/2	0.31
158/3	0.31
158/4	0.31
योग	29.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमराडीह जलाशय योजना डूबान एवं बांध पार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

प्रकरण क्र. 21/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-चिल्हाटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-62.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
141/11	0.28
141/12	0.30
141/13	0.53
141/14	0.27
141/15, 141/16	1.30
142/1	2.20
142/2	2.20
143/1	0.85
318	0.80
144	4.50
145	0.50
147	1.50
148	1.60
320	0.80
149	7.31
159	3.31
150/1	0.99
150/2	1.28
158	0.99
152/1	1.16
152/2	1.15
151	1.20
152/3	0.54
152/4	0.57
153/1	1.11
153/2	1.11
153/3	1.11
158/2	1.29
160	1.05
162/1	0.85
169	0.10
302/1	1.70
303	0.53
304	0.54
305/1	0.05
305/2	0.05
306/1	0.15
306/2	0.15
307	0.29
310	0.54
311	0.33
315	0.32
317	0.80

(1)	(2)
319/1	0.85
319/2	0.17
319/3	0.16
319/4	0.16
319/5	0.16
323/3, 323/10	1.10
323/5	0.30
323/6	5.29
323/12	2.02
161/1	0.65
161/2	0.66
161/3	0.45
161/4	0.45
161/5	0.46
161/6	0.65
161/7	0.66
योग	62.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमराडीह जलाशय बांध पार एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2007-08. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
275	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पर्यटन स्थल विकास हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2219/2	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेन्दरी से रमतला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./16/अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोवा, प. ह. नं. 109
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5565 वर्गफुट

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
92/8, 101/12	110
92/7, 101/11	110
91/4, 92/4, 98/3, 99/3, 101/6	504
94/6, 101/16	470
94/8, 101/22	447
99/4, 100/1, 101/10	1220
91/18, 92/13, 93/4, 97/5, 98/7, 99/10, 101/23	1495
92/2, 101/2	885
381/1, 381/2, 381/3	99
387/6, 394/8, 395/8	96
387/5, 394/7, 395/7	129
योग 11	5565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण मोवा क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 30 अ/82 वर्ष 1998-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.614 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1, 50/1, 51/1, 52/1, 54/1, 55/1, 56/1, 2757/1, 2758/1, 2759/1, 2799/1	0.405
40/1	0.105
42/2, 60/1 क, 42/1	0.267
41/1	0.012
41/2	0.012
41/3	0.012
58/1	0.243
59/3	0.162
2756/1	0.210
58/2	0.040
58/3	0.057
2771/6 घ	0.081
2795/1, 2828/4	0.008
योग 14	1.614

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कसडोल बाय पास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव, छ. ग.

राजनांदगांव, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक/1665/न. ग्रा. नि./2008.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनांदगांव निवेश क्षेत्र (पुनरीक्षित) में सम्मिलित अतिरिक्त 13 ग्रामों की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

राजनांदगांव निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम-पेण्डरी, बजरंगपुर नवागांव, ढाबा, गठुला, पार्री कलां, सुन्दरा एवं मनकी ग्रामों के उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम-मनकी, कन्हारपुरी, मोहड़, हरदी, सिंगदई एवं सिंघोला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम-सिंघोला, भंवरमारा, बाकल एवं फरहद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम-फरहद, रेवाडीह एवं पेण्डरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव.

No./1665/T & CP/2008.—It is published for general information of the public that in pursuance of Sub-section (3) of Section 15 of the C. G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) an Existing Land Use Maps & Register of additionally included 13 villages for the Reconstituted Planning Area of Rajnandgaon as specified in the following schedule is hereby duly adopted by Director, Town & Country Planning. Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under Sub-section (4) of Section 15 of the said act and will be conclusive evidence of the fact that the map & register has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Reconstituted Limits of Rajnandgaon, Planning Area

North : Village-Pendri, Bajrangpur-Navagaon, Dabha, Gathula, Parri Kalan & Manki and up to Northern limits of Village Manki.

East : Village-Manki, Kanharpuri, Mohad, Hardi, Singhdai & Singhola and up to Eastern limits of Village Singhola.

South : Village-Singhola, Bhawarmara, Bankal & Farhad and up to Southern limits of Village Farhad.

West : Village-Farhad, Rewadih & Pendri and up to Western limits of Village Pendri.

The said adopted maps & register shall be available for inspections of general public at the following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of Assistant Director, Town & Contry Planning, Rajnandgaon.

विनीत नायर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक-71/अ-82/07-08.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह/36	1	0.16

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय)
रजिस्ट्रार कार्यालय—शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

रायपुर संभाग से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वापसी की सूचना का प्रकाशन

क्रमांक-01/निर्वाचन/रापप्र/1911-13.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (3) के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड को राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर से नामनिर्दिष्ट एक उम्मीदवार का अपने पारिवारिक कारणों से नाम वापसी की सूचना प्राप्त हुई है.

अत: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (4) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, जिला-रायपुर ने अपने पारिवारिक कारणों से उम्मीदवारी वापिस लिया है जिसका प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में होगा.

टिप्पणी :— छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के तहत मतपत्र में उम्मीदवारी वापिस लेने वाले का नाम प्रविष्ट नहीं होगा.

रक्षपाल गुप्ता,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.